

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्र. 2560-3042-2017-पचास-2.-किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड का नाम और उसका मुख्यालय	जिला का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उज्जैन	उज्जैन	श्रीमती श्वेता तिवारी, JMFC
2	देवास	देवास	श्रीमती पदमा राजोरे तिवारी, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पंकज शर्मा, उपसचिव.

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. E/8469
III-6-4/72

Jabalpur, dated 25.11.2017.

The Notification of the Government of M. P. No. 2560-3042-2017-L-2. - Bhopal, dated 09.11.2017 issued as per the provisions of Section 4 (1) and (2) of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 is forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information.
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge, Dewas and Ujjain for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officer also,
5. The Deputy Registrar, Confidential and Section Officer, Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information and necessary action and
6. The Registrar (IT) for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

(Vivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)